न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 54/2021

प्रार्थीगण

श्री पंकज उर्फ प्रवीण पुत्र श्री पन्नालाल बुद्धिया जाति ब्राह्मण निवासी झाडोली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. सरपंच ग्राम पंचायत झाडौली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा जिला सिरोही।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सिरोही।
4. श्री पिनाकिन दवे पुत्र श्री प्रवीणचन्द दवे जाति ब्राह्मण निवासी झाडौली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
5. श्री गौरवाल ब्राह्मण समाज जरिए पंच गौरवाल ब्राह्मण समाज श्री गोकुल भाई पुत्र श्री गजानन्द जाति ब्राह्मण निवासी ब्रह्मपुरी झाडौली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थिति :–

1. श्री प्रमोद कुमार दवे अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. श्री अर्जुन रावल, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या एक की ओर से।
3. श्री अशोक पुरोहित, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या चार व पांच की ओर से।

निर्णय **दिनांक 27.12.2021**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना–पत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा के आदेश क्रमांक/पं.स.पि./पंचायत/2021/1893 दिनांक 28.10.2021 को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या एक की ओर से अधिवक्ता श्री अर्जुन रावल द्वारा वकालतनामा पेश कर उपस्थिति दी गई एवं जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी संख्या चार व पांच की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक पुरोहित द्वारा वकालतनामा पेश कर उपस्थिति दी गई एवं जवाब प्रस्तुत किया गया, जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण में दोनो पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:55:42 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री [illegible]मार दवे ने दौराने बहस मेरा ध्यान प्रार्थीगण की ओर से प्रस[illegible] की ओर आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि विकास[illegible]कारी पंचायत स[illegible] पिण्डवाडा द्वारा आदेश क्रमांक/पं.स.पि./पंचायत/2021/18[illegible] जारी किया [illegible]। यह है कि प्रार्थी झाडौली गांव का निवासी है एवं [illegible] के मकान व गौरवाल [illegible]समाज के नौहरे के पीछे के भाग में गौरवाल ब्राह्मण समाज की पट्टाशुदा भूमि है जो कि प्रार्थी के बगीचे व नोहरे के बीच का हिस्सा है, जो करीब 7–8 फीट है, जिसमें गौरवाल समाज के

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

नौहरे की खिडकिया खुलती है। यह है कि उपरोक्त छोडी हुई भूमि के पास करीब 3–4 फीट गली आई हुई है, जो अप्रार्थी संख्या चार के मकान के पीछे आई हुई है, जो आगे गली नदी की तरफ जाती है एवं उपरोक्त नदी से होकर कई बार चोर आते रहते है। यह है कि दो बार गौरवाल समाज के नोहरे व प्रार्थी के मकान में चोरी हेा चुकी है जिस पर वर्ष 2017 में पुलिस थाना पिण्डवाडा में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई थी और पुलिस ने मौका देखकर उक्त छोडी हुई भूमि पर दीवार निकाल कर दीवार को उपर तक करने हेतु कहा था। उसी अनुसार उपरोक्त दीवार नोहरे के पीछे के भाग में व प्रार्थी के बगीचे के बीच वाली भूमि को अप्रार्थी संख्या पांच के पंचों के कहने पर बन्द किया गया था। उक्त भूमि गोरवाल ब्राह्मण समाज की पट्टा शुदा भूमि है और ना तो रास्ते के लिए उपयोग आती है और न ही कभी रास्ता रहा है। यह है कि अप्रार्थी संख्या चार का कोई दरवाजा उसके मकान के पिछले हिस्से में है कि उसका आवागमन अप्रार्थी संख्या पांच की भूमि पर रहा हो। यह है कि अप्रार्थी संख्या चार के मकान का दरवाजा ब्रह्मपुरी में खुलता है तथा वहीं से उसका आवागमन है। यह है कि अप्रार्थी संख्या पांच ने रंजिश वश अप्रार्थी संख्या तीन को छूठी शिकायत प्रस्तुत की जिस पर अप्रार्थी संख्या तीन ने पत्र क्रमांक 668 दिनांक 14.10.2021 के जरिए ब्रह्मपुरी के आम रास्ते के अतिक्रमण को हटाने बाबत जांच करने को कहा और अप्रार्थी संख्या दो द्वारा सहायक विकास अधिकारी श्री अर्जुनसिंह आशोतिया को अप्रार्थी संख्या एक के जरिए तीन दिन में मौके पर जाकर अतिक्रमण हटाने हेतु रिपोर्ट पेश करने हेतु आदेश क्रमांक 1893 दिनांक 28.10.2021 को विधि विरूद्ध जारी किया। यह है कि अप्रार्थी संख्या एक व दो ने मौके पर जाकर किसी भी प्रकार की जांच किए बगैर उक्त आदेश पारित किया गया है, जो खारिज किए जाने योग्य है।

अप्रार्थी संख्या एक के लायक अधिवक्ता श्री अर्जुन रावल द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान निगरानीं मे प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि गौरवाल ब्राह्मण समाज के नोहरे के पीछे की ओर जाने वाला रास्ता पहले से ही आम रास्ता था जो मोहल्ले एवं गांव वाले के आने–जाने के लिए उपयोग व उपभोग में आता था। यह है कि प्रार्थी ने गांव वालों के उपयोग व उपभोग में नदी की ओर जाने वाले रास्ते की भूमि को अपने उपयोग में लेने हेतु बदनियती पूर्वक बन्द कर दिया गया है, जिससे आमजन को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। यह है कि अप्रार्थी संख्या दो के आदेश क्रमांक 1894–95 दिनांक 28.10.2021 की पालना में ग्राम पंचायत झाडौली द्वारा दिनांक 12.11.2021 को मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें मौके पर प्रार्थी द्वारा उत्तर दिशा में 12 फीट व दक्षिण दिशा में 12 फीट दीवार व दरवाजा लगाकर एवं पश्चिम दिशा में 39 फीट दीवार निकाल कर अवैध अतिक्रमण आम गली की भूमि पर होना पाया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा उक्त निगरानी अप्रार्थी को हैरान परेशान करने की नियत से पेश की गई है, जो खारिज किए जाने योग्य है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाना फरमावें।

अप्रार्थी संख्या चार व पांच के लायक अधिवक्ता श्री अशोक पुरोहित द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान निगर[illegible] तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि ब्रह्मपुरी कॉलोनी में ब्र[illegible]ी की ओर जाने वाले रास्ते की ठीक सामने अप्रार्थी संख्या पांच [illegible] की ओर जाने वाला रास्ता पहले से ही आम रास्ता था जो लग[illegible]00 वर्षों से मोहल्ले एवं गांव वाले के आने–जाने के लिए उपयो[illegible] प्रार्थी ने दुर्भावनापूर्ण तरीके से बन्द कर दिया है। यह [illegible]शुदा भूखण्ड के पास व सामाजिक नोहरे के पीछे लगभग 10 फीट लम्बाई व 4 फीट ऊंचाई में दीवार बनाकर नदी की ओर जाने वाला रास्ता बन्द कर दिया है। यह है कि प्रार्थी ने स्वयं के कब्जेशुदा भूखण्ड के दक्षिण में स्वयं के आवासीय मकान के पास भी दीवार बनाकर उसमें एक दरवाजा लगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:55:42 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

दिया है। यह है कि प्रार्थी ने मकान से आगे ब्राह्मणों के नोहरे के बीच लगभग 60 फीट लम्बाई व 10 फीट चौडाई में जो जमीन समाज की आवाजाही हेतु उपयोग–उपभोग में आम रास्ते के रूप में आ रही थी, उसे बन्द कर मौके पर न्यूसेंस कारित किया है। यह है कि प्रार्थी के पुत्र श्री धवल बुद्धिया ने कॉलोनीवासियों को लिखित में दिनांक 17.11.2021 को यह आश्वस्त किया कि इस अवैध निर्माण का हटा लिया जाएगा एवं इससे पूर्व भी कई बार यह आश्वासन दिया गया था परन्तु प्रार्थी द्वारा उक्त निर्माण को नहीं हटाया गया, जिस पर अप्रार्थी संख्या चार द्वारा ग्राम पंचायत झाडौली में दिनांक 02.07.2021 को शिकायत की। उक्त शिकायत पर अप्रार्थी संख्या एक से तीन द्वारा मौके एवं रेकर्ड की जांच कर उक्त आदेश दिनांक 28.10.2021 को जारी किया है। यह है कि प्रार्थी द्वारा किया गया अतिचार आम रास्ते पर है, जो पट्टा संख्या 25 दिनांक 16.02.2013 श्रीमती ललिता पत्नि श्री प्रवीणचन्द निवासी झाडोली के स्वामित्व के उत्तर दिशा में आम रास्ता व दरवाजा दर्ज है एवं पट्टा संख्या 24 की दक्षिण दिशा में आम रास्ता दर्ज है। अतः प्रार्थी द्वारा उक्त निगरानी अप्रार्थी को हैरान परेशान करने की नियत से पेश की गई है, जो खारिज किए जाने योग्य है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाना फरमावें।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया । प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं अप्रार्थी संख्या दो के अधिवक्ता द्वारा की गई बहस एवं पत्रावली का भलिभॉति नियमों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष निम्न प्रकार है कि विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा द्वारा आदेश क्रमांक/पं.स.पि./पंचायत/2021/1893 दिनांक 28.10.2021 द्वारा यह आदेश जारी किया गया कि ब्रह्मपुरी के आम रास्ते में अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण को ग्राम पंचायत से नियमानुसार हटाए जाने की कार्यवाही की जाए। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा के आदेश दिनांक 28.10.2021 की पालना में ग्राम पंचायत झाडौली द्वारा दिनांक 02.11.2021 को मौका फर्द तैयार की गई जिसमें यह उल्लेख किया है कि ब्रह्मपुरी कॉलोनी में ब्रह्मपुरी से नदी की ओर जाने वाले रास्ते के ठीक सामने ब्राह्मणों के नोहरा के पीछे के द्वारा की ओर जाने वाला रास्ता पूर्व में आम रास्ता था, जो लगभग 100 वर्षों से आने–जाने का रास्ता था, जिसे लगभग 5–6 वर्षों पूर्व प्रार्थी द्वारा अपने कब्जेशुदा प्लॉट के पास व ब्राह्मणों के नोहरे के पीछे लगभग 10 फीट लम्बाई व 04 फीट ऊँचाई में दीवार बनाकर नदी की ओर जाने वाले रास्ता बन्द कर दिया है एवं प्रार्थी ने अपने कब्जेशुदा प्लॉट के दक्षिण में स्वयं के आवासीय मकान के पास भी दीवार बनाकर उसमें एक दरवाजा लगा दिया गया है, जिससे ब्रह्मपुरी के आमजन को परेशानी हो रही है। यह है कि उक्त मौका फर्द में सहायक विकास अधिकारी, सरपंच ग्राम पंचायत झाडोली व अन्य मौतबिरान ग्रामीणों ने हस्ताक्षर किए गए है।यह है कि विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा के आदेश क्रमांक 1894–95 दिनांक 28.10.2021 की पालना में ग्राम पंचायत झाडोली द्वारा दिनांक 12.11.2021 को मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की गई जिसमें भी उक्त गली को बन्द किए जाने का उल्लेख है एवं उपस्थित मौतबिरानों व पंचायत वार्ड सदस्यों के द्वारा अतिक्रमण हटाने की सिफारिश की गई। यह है कि प्रार्थी अधिवक्ता ने यह स्वयं स्वीकार किया हुआ है कि प्रार्थी ने सुरक्षा की दृष्टि [illegible] संख्या पांच के पंचों के कहने पर उक्त दीवार का निर्माण किया गया है [illegible] पत्रावली पर ऐसा किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं [illegible] प्रमाणित हो सके कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या पांच की सहमति से ही उक्त [illegible] का निर्माण किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी द्वारा उक्त दीवार का निर्माण कर नदी की तरफ जाने वाले रास्ते [illegible]क्षा की दृष्टि से बन्द किया गया था, परन्तु ग्राम पंचायत झाडोली की मौका फर्द रिपोर्ट के आधार पर यह प्रतीत होता है कि उक्त रास्ते का बन्द कर देने से आम जन का परेशानी हो रही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:55:42 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं प्रार्थी एवं अप्रार्थी अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत फोटोग्राफ का अवलोकन करने से विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा द्वारा जारी आदेश क्रमांक/पं.स.पि./पंचायत/2021/1893 दिनांक 28.10.2021 में हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.12.2021 को खुले न्यायालय में डिक्टेट कराया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:55:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner